

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर शिद्दीख पी०, भा०प्र०रो०,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 12/04/23

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थापना व्यय (विस्तृत) अन्तर्गत माँग संख्या-02-पशुपालन, मुख्य शीर्ष-2403-पशुपालन-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-26- प्रसार एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत स्थायी स्थापना के लिए कुल राशि 1,26,54,000/- रुपये (एक करोड़ छब्बीस लाख चौवन हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थापना व्यय (विस्तृत) अन्तर्गत माँग संख्या-02-पशुपालन, मुख्य शीर्ष-2403-पशुपालन-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-26-प्रसार एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत संलग्न आवंटन विवरण संख्या - 214 के अनुसार कुल राशि 1,26,54,000/- रुपये (एक करोड़ छब्बीस लाख चौवन हजार रुपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में आय व्ययक शीर्ष 2403-पशुपालन-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-26-प्रसार एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणी में उल्लिखित इकाईयों में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :-

क्र०सं०	प्राथमिक शीर्ष (विपत्र कोड)	आय-व्ययक उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	वेतन (02-S-2403-00-109-26-00-01-01)	1,23,39,000/-	1,23,39,000/-
2	देशीय यात्रा व्यय (02-S-2403-00-109-26-00-01-13)	1,00,000/-	1,00,000/-
3	कार्यालय व्यय (02-S-2403-00-109-26-00-03-15)	50,000/-	50,000/-
4	आपूर्ति एवं सामग्री (02-S-2403-00-109-26-00-03-23)	50,000/-	50,000/-
5	वर्दी (02-S-2403-00-109-26-00-03-34)	15,000/-	15,000/-
6	विद्युत व्यय (02-S-2403-00-109-26-00-03-37)	1,00,000/-	1,00,000/-
	योग :-	1,26,54,000/-	1,26,54,000/-

3. वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-11/2022-23/274/बजट दिनांक-31.03.2023 के आलोक में आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

4. आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि० (2), दिनांक-17.04.1998, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक-15.07.2013 एवं पत्रांक-533 (वि०), दिनांक-03.03.2004 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी की जाए।

5. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-322, दिनांक-28.01.2002 के आलोक में शत-प्रतिशत अधिसीमा अन्तर्गत दिया जा रहा है।

   

6. आवंटित राशि से अधिक तथा किसी मद की राशि अन्य मदों में व्यय, किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
7. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।
8. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन सख्ती से किया जाय।
9. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके।
10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।
11. इस आवंटन से दिनांक-15.11.2000 के पूर्व के किसी भी प्रकार के बकाया वेतनादि की निकासी नहीं की जाएगी। न्यायालयीय मामलों में वित्त विभाग के पत्रांक-5447, दिनांक-06.09.2002 एवं 2264/वि०, दिनांक-22.09.2004 में निहित अनुदेश का अक्षरशः पालन किया जाए।
12. इस आवंटन से दिनांक - 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।
13. पूरे वर्ष की कोई DC bill लंबित नहीं रखा जाए एवं वर्ष 2022-23 के लेखा का सत्यापन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2022-23 का निश्चित रूप से सभी संबंधित को भेज दें।
14. पदाधिकारी के स्थानांतरण आदि के फलस्वरूप रिक्त पदों के विरुद्ध वेतन भत्ते की राशि पद-रिक्ति के 15 दिनों के अन्दर अत्यावश्यक रूप से प्रत्यार्पित कर दी जाए।
15. वित्तीय वर्ष 2023-24 का अंतिम प्रत्यार्पण दिनांक - 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक :- 03 आ० (वि०) राँची, दिनांक 12/04/23

प्रतिलिपि :- योजना एवं बजट शाखा, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची/योजना एवं बजट शाखा, पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 03 आ० (वि०) राँची, दिनांक 12/04/23

प्रतिलिपि :- डॉ० शिव कुमार वर्मा, नोडल पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकार के पोर्टल (www.jharkhand.gov.in) पर अद्यतन सूचनाएँ अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

सरकार के सचिव

2023-24

आवंटन सं० - 214

झारखण्ड सरकार

पर्युपालन विभाग

DEMAND NO:02

03 आ०(140)

12/04/23

RELEASE NO	MAJOR	SUBMAJOR	MINOR	SUB CODE	DET HD	UNIT	AMOUNT
1775	2403 - पर्यु-पालन	00 - पर्यु-पालन	109 - विस्तार तथा प्रशिक्षण	26 - प्रसार एवं प्रशिक्षण	03 - प्रशासनिक व्यय	23 - आगुति एवं सामग्री	50,000.00
1777	2403 - पर्यु-पालन	00 - पर्यु-पालन	109 - विस्तार तथा प्रशिक्षण	26 - प्रसार एवं प्रशिक्षण	03 - प्रशासनिक व्यय	37 - विद्युत व्यय	100,000.00
1773	2403 - पर्यु-पालन	00 - पर्यु-पालन	109 - विस्तार तथा प्रशिक्षण	26 - प्रसार एवं प्रशिक्षण	02 - यात्रा भत्ते	13 - ईंधन व्यय	100,000.00
1772	2403 - पर्यु-पालन	00 - पर्यु-पालन	109 - विस्तार तथा प्रशिक्षण	26 - प्रसार एवं प्रशिक्षण	01 - वेतन एवं भत्ते	01 - वेतन	12,339,000.00
1776	2403 - पर्यु-पालन	00 - पर्यु-पालन	109 - विस्तार तथा प्रशिक्षण	26 - प्रसार एवं प्रशिक्षण	03 - प्रशासनिक व्यय	34 - बर्दी	15,000.00
1774	2403 - पर्यु-पालन	00 - पर्यु-पालन	109 - विस्तार तथा प्रशिक्षण	26 - प्रसार एवं प्रशिक्षण	03 - प्रशासनिक व्यय	15 - कार्यालय व्यय	50,000.00

100% of b2